



# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं०-35/2023

दिनांक- 28 जनवरी- 2023

**प्रेस विज्ञप्ति**

**थाना- निजामाबाद**

## प्रतिबंधित मांस व मांस काटने के उपकरण के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.01.2023 को उ०नि० कुलदीप सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि ग्राम असगड़ा मुस्तफाबाद में नसीबुल्ला के हाते में कुछ लोग प्रतिबंधित मांस बेच रहे है इस सूचना पर पुलिस वाले हाते के दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग बैठे हुए है तथा प्रतिबंधित मांस को ठीहा पर रखकर काटकर पन्नी में पैक कर रहे थे कि एक ब्यक्ति को पकड़ लिया गया अन्य ब्यक्ति हाते का दिवाल फादकर अंधेरे का लाभ पाकर भाग गये पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम मो० जकी अंसारी पुत्र मुंशी जोखू निवासी असगड़ा मुस्तफाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 51 वर्ष बताया तथा उसके कब्जे से एक अदद इलेक्ट्रॉनिक तराजू एक अदद लकड़ी का ठीहा व मांस को प्रवहण हेतु रखी गयी बिखरी हुई पन्निया प्लास्टिक की एक बोरा मे लगभग 30 किलो प्रतिबंधित मांस मिला जिसे कब्जा पुलिल में लिया गया अभियुक्त मो० जकी अंसारी उपरोक्त का यह कृत्य अन्तर्गत 3/5/8 गोबध निवारण अधि० व धारा 4/25 Arms Act का अपराध का बोध कराते हुए अभियुक्त मो० जकी अंसारी उपरोक्त को कल दिनांक 27.01.2023 को समय 20.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया गया।

### पंजीकृत अभियोग –

1- मु०अ०सं०- 0043/23 धारा 3/5/8 गोबध निवारण अधिनियम व धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना निजामाबाद आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मो० जकी अंसारी पुत्र मुंशी जोखू निवासी असगड़ा मुस्तफाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

### बरामदगी-

1-प्रतिबंधित मांस 30 किलोग्राम गौ मांस व मांस काटने व तौलने के उपकरण

आपराधिक इतिहास- उपरोक्त

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ०नि० कुलदीप सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद, आमजगढ़

### थाना- अतरौलिया

## दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, आधा दर्जन मुकदमें दर्ज

1. **पूर्व का विवरण-** दिनांक- 02.01.23 को थाना स्थानीय पर वादिनी का तहरीर प्राप्त हुआ कि अभियुक्त अनमोल सिंह पुत्र मातादीन सिंह निवासी ग्राम एकडल्ला थाना हंसवर जनपद अम्बेडकर नगर अपने साथियों के साथ वादिनी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया तथा अनमोल सिंह के घर वालों से इस सम्बन्ध में पूँछने पर जान से मारने की धमकी दिये, के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 04/23 धारा 366/506 IPC बनाम 1.अनमोल सिंह पुत्र मातादीन सिंह निवासी ग्राम एकडल्ला थाना हंसवर जनपद अम्बेडकर नगर आदि 04 नफर नाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था। विवेचना हेतु उ०नि० प्रभात चन्द पाठक को प्राप्त हुआ। बाद बरामदगी व बयान पीड़िता/अपहता व अवलोकन शैक्षिक प्रमाण पत्र के मुकदमा उपरोक्त में धारा 363/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

2. **गिरफ्तारी का विवरण:-** आज दिनांक 28.01.23 को उ०नि० प्रभात चन्द पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनमोल सिंह पुत्र मातादीन निवासी एकडल्ला थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 19 वर्ष को लोहरा टोल प्लाजा के पास ढाबे से समय 11.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा० न्यायालय/जेल भेजा गया।

### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 04/23 धारा 363/366/506/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. अनमोल सिंह पुत्र मातादीन सिंह निवासी ग्राम एकडल्ला थाना हंसवर जनपद अम्बेडकर नगर

**पूर्व का आपराधिक इतिहास-**

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	04/23	363/366/506/376 व 3/4 पाक्सो एक्ट	अतरौलिया	आजमगढ़
2.	108/22	120-B, 202, 216-A, 34,395, 397, 412 IPC	टाण्डा	अम्बेडकरनगर
3.	134/22	3/25 आर्म्स एक्ट	टाण्डा	अम्बेडकरनगर
4.	251/19	323, 427, 504, 506 IPC	टाण्डा	अम्बेडकरनगर
5.	36/19	147, 148, 323, 504, 506 IPC	हंसवर	अम्बेडकरनगर
6.	60/22	120-B, 147, 148, 149, 323, 386 IPC	हंसवर	अम्बेडकरनगर
7.	162/19	3(1)(घ), 3(1)(द) SC/ST Act व 323, 452, 504, 506 IPC	हंसवर	अम्बेडकरनगर
8.	216/22	147, 323, 427, 452, 504, 506 IPC	हंसवर	अम्बेडकरनगर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -**

1. उ0नि0 प्रभात चन्द पाठक 2. का0 अविनाश विश्वकर्मा 3. अजीत सिंह अतरौलिया जनपद आजमगढ़

**थाना- मेंहनगर**

**शातिर अपराधी असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार**

**दिनांक- 28.01.2023** को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि बछवल गाँव में जो SC/ST का मुकदमा लिखा गया है उसका अभियुक्त जियासड बाजार से हटवा देवरिया मोड की तरफ आ रहा है जो अवैध हथियार भी रखता है। पुलिस द्वारा मौके से नितेश यादव पुत्र राम बेलास यादव ग्राम बछवल(बैरा) थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 11.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 31/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

**पंजीकृत अभियोग-**

1-मु.अ.सं. 31/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

**आपराधिक इतिहास-**

1. मु.अ.सं. 268/22 धारा 8/20 NDPS ACT थाना मेंहनगर, आजमगढ़

2.मु.अ.सं. 30/23 धारा 323/354ख/452/504/506 भादवि व 3(1)W,3(1)द,3(1)घ, 3(2)5क SC/ST ACT थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त -**

1-नितेश यादव पुत्र राम बेलास यादव ग्राम बछवल (बैरा) थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

**बरामदगी -** एक अदद असलहा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह का0 यशवंत कुमार थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ।